-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.08.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध तमंचा से फायर कर अपनी भाभी को घायल कर देने वाले अभियुक्त को थाना बबेरु पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 03.08.2024 को थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचा से फायर कर अपनी भाभी को घायल कर देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 02.08.2024 को थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम पडरी में अभियुक्त समर सिंह पुत्र जगनन्दन सिंह द्वारा पारिवारिक विवाद में अवैध तमंचा से फायर कर दिया जिससे उसकी भाभी पूनम सिंह के हाथ में गोली लग गयी। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व खोखा कारतूस तथा एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बबेरु पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
- 01 अदद् खोखा कारतूस (घटना में प्रयुक्त)
- 01अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. समर सिंह पुत्र जगनन्दन सिंह निवासी पडरी थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री प्रदीप कुमार चौकी प्रभारी सिमौनी
2. कां0 शमशेर बहादुर